सूचना का अधिकार अधिनियम वर्ष 2005
मध्यप्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग

अध्याय–1 प्रस्तावना

1.1 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 :–

संविधान के भाग 3 में नागरिको को प्रदत्त मौलिक अधिकारों की घोषणा की गई है जिसके अनुछच्चेद 19 (क) में अभिव्यक्ति स्वांतत्रय तथा वाक् स्वातंत्रय का अधिकार नागरिको को प्रदान की गई है। इसी प्रकार अनुछेच्द 29 (क) नागरिको को सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार देता है। उच्चतम न्यायालय ने भी अनेक मामलों में यह स्पष्ट किया है कि सूचना प्राप्ति का अधिकार अपने आप में पारदर्शी एवं सक्षम शासन को चलाने के लिए आवश्यक और सम्मानपूर्वक जीने के अधिकार का ही अभिन्न अंग है तथा यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निहित है।

1.2 सूचना का अधिकार का उद्देश्य :–

नागरिकों द्वारा किसी भी लोक प्राधिकरण के स्वामित्व में मौजूद उन सभी सूचनाओं को प्राप्त करने की शक्ति जो स्वयं उनसे जुड़ी हो या प्रच्छा लोक कल्याण की भावना प्रेरित हो। यह सूचना का रिकार्ड, फाइले, रजिस्टर्स, आकडे, रेखाचित्र, नमूने इत्यादि किसी भी रूप में हो सकती हैं। अपने सूचना के अधिकार का प्रयोग करके हम जान सकते है कि आंगनवाड़ी केन्द्रों पर मिलने वाली सेवाएं कौन–कौन सी है, उनका लाभ कैसे और कब उठाया जा सकता हैं, आदि।

1.3 उपयोगी :–

सूचना का अधिकार पुस्तिका सभी आम नागरिकों/व्यक्तियों/संस्थानों/अशासकीय संगठनों के लिए उपयोगी है क्योकि सभी को सूचना प्राप्त करने का अधिकार है।

1.4 शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार –

1.5 आई.सी.डी.एस.– समेकित बाल विकास सेवा योजना

5.1 सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत् विभागीय गतिविधियों की जानकारी से सर्व साधारण को परिचित कराना।

5.2 सूचना का अधिकार अधिनियम : 2005 के तहत् किन नियमों /निर्देशों की जानकारी सर्व साधारण को उपलब्ध कराई जा सकती है, जानकारी कहॉ से प्राप्त होगी, शुल्क इत्यादि की जानकारी से अवगत कराना।

5.3 सर्व साधारण मुख्यतः आईसीडीएस/पोषण आहार सेवा से लाभान्वित होने वाले हितग्राही,

5.4 निर्धारित प्रारूप अनुसार।

5.5 1 आईसीडीएस – एकीकृत बाल विकास सेवा योजना

2 ए.डब्ल्यू.डब्ल्यू – आंगनवाडी कार्यकर्ता
3 एम. ए.डब्ल्यू.डब्ल्यू – उप आंगनवाडी कार्यकर्ता
4 ए.डब्ल्यू.एच – आंगनवाडी सहायिका
5 ए.डब्ल्यू.सी – आंगनवाडी केन्द्र
6 एम. डब्ल्यू.सी – उप आंगनवाड़ी केन्द्र
7 एस.एन.पी. – पूरक पोषण आहार

5.6 आयुक्त, एकीकृत बाल विकास सेवा म0प्र0।

सूचना प्राप्त करने के लिए एकीकृत बाल विकास सेवा, संचालनालय में **श्री अक्षय श्रीवास्तव, लोक सूचना अधिकारी** से सम्पर्क किया जा सकता है। संभाग स्तर पर संयुक्त संचालक, एकीकृत बाल विकास सेवा, जिला स्तर पर जिला कार्यक्रम अधिकारी एकीकृत बाल विकास सेवा, प्रशिक्षण केंद्रों पर मुख्य निर्देशक प्रशिक्षण केंद्र, समेकित बाल विकास परियोजना स्तर पर, बाल विकास परियोजना अधिकारी, सेक्टर स्तर पर पर्यवेक्षक तथा आंगनवाड़ी स्तर पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता।

1.7 सूचना एवं शुल्क के लिए सम्पर्क सूत्रः–

सूचना के अधिकार के संबंध में सूचना एवं शुल्क के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त किये जाने हेतु संचालनालय एकीकृत बाल विकास सेवा में **श्री अक्षय श्रीवास्तव, लोक सूचना अधिकारी एवं श्रीमती ज्योति श्रीवास्तव सहायक लोक सूचना अधिकारी** से सम्पर्क किया जा सकता है तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में 5.6 में अंकित के अधीनस्थ कार्यालयों से प्राप्त की जा सकती है।

1.8 सूचना प्राप्त न होने की स्थिति में :–

संचालनालय एकीकृत बाल विकास सेवा हेतु अपीलीय अधिकारी – **श्रीमती राजपाल कौर, अपर संचालक,** से संपर्क किया जा सकता है ।

अध्याय–2
संगठन की विशिष्टयॉ, कृत्य एवं कर्तव्य

2.1 लोक प्राधिकरण के उद्देश्य :–

संचालनालय एकीकृत बाल विकास सेवा के उद्देश्य निम्नानुसार है :–

1. प्रदेश की गर्भवती /धात्री महिलाओं तथा 0–6 वर्ष के बच्चों को स्वास्थ्य व पोषण सेवायें प्रदान की जाती है।
2. बच्चों के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास तथा स्वास्थ्य व पोषण की स्थिति में सुधार लाना ।

2.2 लोक प्राधिकरण महिला एवं बाल विकास विभाग का मिशन/विजन :–

मध्यपदशे सरकार महिलाओं और बच्चों के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसी संदर्भ में प्रदेश के मानव विकास प्रतिवेदन में जेन्डर विकास सूचकांक

तथा बच्चों के शाला प्रवेश, शिक्षा आदि का समावेश किया जाता है। आजकल विकास की नवीनतम अवधारणा के अनुसार मानव विकास सूचकांक HDI विकास की गति दर्शाने वाले महत्वपूर्ण मानक हैं और विश्व बैंक तथा संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व के देशों की विकासीय स्थिति का मूल्यांकन भी इन्हीं सूचकांक के आधार पर करने लगे हैं। इन सूचकांकों में शिशु मृत्यु दर (IMR), पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर (Under Five Mortality Rate) मातृ मृत्यु दर (MMR), लाईफ एक्सपैक्टेन्सी एट बर्थ, साक्षरता दर, बच्चों का पोषण स्तर इत्यादि प्रमुख है।

इन सूचकांको के अनुसार हमारे देश भारत और विशेष रूप से मध्यप्रदेश की स्थिति पिछड़े स्थानों के बीच आती थी। इन बातों को देखते हुए भविष्य के नागरिकों के सम्पूर्ण शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक विकास को सुनिश्चित करने के लिये समेकित बाल विकास सेवा योजना की संकल्पना की गई। इस परियोजना को क्रियाविंत करने के साथ–साथ महिला विकास की नई अवधारणा, जिसमें महिला कल्याण से उपर उठकर महिला सशक्तीकरण पर केन्द्रित योजनाओं को लागू करना निहित है, का क्रियान्वयन भी विभाग की जिम्मेदारी में शामिल हुआ है।

2.3 लोक प्राधिकरण (महिला एवं बाल विकास विभाग) का संक्षिप्त इतिहास और उसके गठन का प्रसंगः–

मध्यप्रदेश में 15 अगस्त, 86 को महिला एवं बाल विकास संचालनालय का गठन किया गया तथा महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित समस्त योजनायें आदिम जाति कल्याण विभाग और पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग से इस संचालनालय को हस्तान्तरित की गई। प्रारंभ में यह संचालनालय पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण में रहा तथा वर्ष 1988 में पृथक से महिला एवं बाल विकास विभाग का गठन किया गया। वर्ष 2012 में विभाग अन्तर्गत दो संचालनालय एकीकृत बाल विकास सेवा संचालनलाय एवं महिला सशक्तिकरण संचालनलाय का गठन किया गया।

2.4 लोक प्राधिकरण के कर्तव्य :–

महिलाओं ओर बच्चों की जीवन रक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक आर्थिक विकास, के लिये योजनाएं चलाना तथा विभिन्न विकास विभागों के साथ समन्वय स्थापित करना।

2.5 लोक प्राधिकरण के मुख्य कृत्य

1. समेकित बाल विकास सेवा का संचालन।
2. महिलाओं और बच्चों के लिये शासकीय संस्थाओं का संचालन, अशासकीय संस्थाओं को अनुदान प्रदान करना।
3. महिलाओं के आर्थिक विकास के लिए मध्यप्रदेश महिला वित्त विकास निगम का संचालन।
4. महिलाओं की सामाजिक समस्याओं के लिए राज्य महिला आयोग का संचालन।

संगठन की विशिष्टियां, कृत्य एवं कर्तव्य

2.1 प्रदेश की महिलाओं के सामाजिक आर्थिक स्वास्थ्य व पोषण की स्थिति में सुधार लाना उनकी सुरक्षा से संबंधित कानूनो की जानकारी देना एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं का संचालन करना। बच्चों के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास, स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार लाना उन्हें कुपोषण से बचाना।

2.2 प्रदेश की महिलाओं एवं बच्चों में व्याप्त कुपोषण अशिक्षा अज्ञानता से मुक्त करना एवं स्वास्थ्य समाज की नीव डालना।

2.3 आईसीडीएस योजना का प्रारंभ 2 अक्टूबर 1975 को प्रदेश के दो विकास खण्डों में प्रायोगिक तौर पर किया गया। पूर्व में उक्त योजना का संचालन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग/आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा किया जाता था। मध्यप्रदेश में 15 अगस्त 1986 को महिला बाल विकास संचालनालय का गठन किया गया एवं महिलाओं एवं बच्चों से सम्बंधित समस्त योजनायें आदिम जाति कल्याण विभाग और पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग से संचालनालय से महिला एवं बाल विकास को हस्तांतरित की गई। प्रारंभ में यह संचालनालय पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण में रहा तथा वर्ष 1988 में पृथक से महिला एवं बाल विकास विभाग का गठन किया गया।

2.4

(1) प्रदेश की महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य व पोषण की स्थिति में सुधार लाना।

(2) बच्चों के शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार लाना तथा कुपोषण से बचाना ।

(3) महिलाओं के संवैधानिक हितों को सुरक्षित रखना, महिलाओं के कल्याण, सुरक्षा से सम्बन्धित कानूनों एवं विभिन्न योजनाओं के प्रति जागरूकता बढाना।

(4) प्रदेश में विभिन्न विभागों द्वारा महिलाओं एवं बच्चों के सर्वागिण विकास से सम्बन्धित योजनाओं के क्रियान्वयन में समन्वयक की भूमिका निभाना ताकि योजना का लाभ हितग्राहियों तक पहुच सकें।

(5) महिलाओं की स्वायत्ता एवं सशक्तिकरण सुनिश्चित करते हुये उनकी आर्थित एवं सामाजिक स्थिति में निरन्तर सुधार लाने हेतु राज्य की महिला नीति के क्रियान्वयन का समन्वयक।

2.5

1 आईसीडीएस योजना का क्रियान्वयन

2 किशोरी शक्ति योजना का क्रियान्वयन

3 सबला योजना

4 उदिता योजना का क्रियान्वयन

2.6

1 आई.सी.डी.एस. योजना –

2 किशोरी शक्ति योजना –

2.7 इन्दिरा गांधी मातृत्व सहायता योजना।

2.8 आंगनवाडी केन्द्रों का सुचारू संचालन जिससे हितग्राही बच्चों एवं गर्भवती /धात्री महिलाओं को आईसीडीएस सेवाओं का समुचित लाभ मिल सकें।

2.9 आंगनवाडी केन्द्रों के संचालन में समुदाय की सहभागिता लेना जैसे – आंगनवाडी भवन की व्यवस्था, शासन द्वारा प्रदत्त की जाने वाली पूरक पोषण आहार व्यवस्था में व्यवधान की स्थिति में समुदाय से महिलाओं एवं बच्चों हेतु पूरक पोषण आहार की व्यवस्था कराना। टीकाकरण, वजन, लेने की प्रकिया में जनसमुदाय को सहभागी बनाना।

2.10 जिला स्तर पर आईसीडीएस, किशोरी शक्ति योजनाओं के पर्यवेक्षण तथा योजनाओं से संबंधित प्राप्त शिकायतों के निराकरण हेतु जिला स्तर पर जिला कार्यक्रम अधिकारी/जिला महिला बाल विकास अधिकारी, विकास खण्ड स्तर पर बाल विकास परियोजना अधिकारी, को विभाग द्वारा जिम्मेदारी दी गई है।

2.11 संचालनालय एकीकृत बाल विकास सेवा, प्लाट नं 28 अरेरा हिल्स, विजयाराजे सिंधिया, वात्सल्य भवन, भोपाल मध्य प्रदेश। समस्त जिलों में जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला बाल विकास, कार्यालय। समस्त विकास खण्डों बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय।

2.12 मुख्य कार्यालय खुलने का समय प्रातः 10.30 बजे मुख्य कार्यालय बंद होने का समय सायंकाल 5.30 बजे

2.6 लोक प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त सेवाओं की सूची एवं उनका विवरण

समेकित बाल विकास सेवा योजना (आईसीडीएस)

वर्तमान में मध्यप्रदेश के सभी 313 विकासखण्डों तथा 73 शहरी बाल विकास परियोजनाओं सहित प्रदेश में कुल 453 समेकित बाल विकास परियोजनाएं संचालित हैं। 453 बाल विकास परियोजनाओं में कुल 84465 आंगनवाड़ी केन्द्र एवं 12670 मिनी ऑगनवाडी केंद्र स्वीकृत हैं। इन आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से लगभग 80.00 लाख हितग्राहियों को आई.सी.डी.एस. की सेवाओं से लाभान्वित किया जा रहा है।

आंगनवाड़ी केन्द्र खोलने के मापदण्ड :–

भारत सरकार द्वारा आंगनवाड़ी केन्द्र/मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र स्वीकृत करने हेतु जनसंख्या के निम्नानुसार मापदण्ड निर्धारित किये गये है :–

(अ) आंगनवाड़ी केन्द्र :–

1.1	ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र हेतु	:– 400–800 (एक केन्द्र)
		:– 800–1600 (दो केन्द्र)
		:– 1600– 2400 (तीन केन्द्र)

(इसके पश्चात प्रति 800 की जनसंख्या पर एक केन्द्र)

1.2	आदिवासी क्षेत्र हेतु	:– 300–800 (एक केन्द्र)

(ब) मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र :–

1.1 ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र हेतु :–150–400 (एक मिनी केन्द्र)

1.2 आदिवासी क्षेत्र हेतु :–150–300 (एक मिनी केन्द्र)

वर्तमान में प्रदेश में कुल 453 बाल विकास परियोजनायें स्वीकृत हैं तथा बाल विकास परियोजना का प्रदेश में सर्वव्यापीकरण किया जा चुका है। आंगनवाड़ी केन्द्रों के युक्ति–युक्त करण के माध्यम से ऐसे क्षेत्रों में भी आंगनवाड़ी केन्द्र प्रतिस्थापित किये गये जहां पर पूर्व से केन्द्र स्वीकृत नहीं थे, जिससे आई.सी.डी.एस. की सेवाओं का अधिकतम हितग्राहियों कों लाभान्वित किया गया।

पहुंच विहीन क्षेत्रों में आंगनवाड़ी की सेवाऐं उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश में कुल 12670 उप आंगनवाड़ी केन्द्र भी संचालित किये जा रहे है। समेकित बाल विकास सेवा योजना के सर्वव्यापीकरण के बाद मध्यप्रदेश की लगभग 67 प्रतिशत जनसंख्या को आईसी. डी.एस. की सेवाएं दी जा रही है।

प्रदेश में संचालित 453 परियोजनाओं का श्रेणीवार वर्गीकरण निम्नानुसार है :–

परियोजनाओं का प्रकार	परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत आगंनवाड़ी केन्द्र
ग्रामीण	278	51572
आदिवासी	102	24000
शहरी	73	8893
कुल	453	84465

आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से निम्नानुसार सेवाऍ समन्वित रूप से दी जाती है :–

1. पूरक पोषण आहार :–

6 वर्ष से कम उम्र के गरीब बच्चों, गर्भवती व दूध पिलाने वाली माताओं तथा किशोरियों की पहचान हेतु समुदाय के सभी परिवारों का सर्वेक्षण किया जाता है तथा साल में तीन सौ दिन पूरक पोषण आहार दिया जाता हैं। मध्यप्रदेश में वर्तमान में 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चों को हलुवा (प्रीमिक्स),बालआहार, एवं खिचडी तथा गर्भवती/धात्री माताओं एवं किशोरी बालिकाओं को गेहूॅ साया बर्फी (प्रीमिक्स), आटा ,बैसन, लड्डू एवं खिचडी एम पी एग्रो के माध्यम से निर्धारित मात्रा में अलग अलग दिवसों में पूरक पोषण आहार दिया जाने का प्रावधान है। शहरी क्षेत्र के परियोजनाओं में 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को स्व सहायता समूह/महिला मण्डल /मातृसहयोगिनी समिति के द्वारा लोकल फूड मार्डल के आधार पर सुबहका नाश्ता एंव दोपहर का भोजन पृथक पृथक मीनू अनुसार पूरक पोषण आहार के रूप में दिये जाने का प्रावधान है। ग्रामीण क्षेत्रों की बाल विकास परियोां में 03 वर्ष से 06 वर्ष तक के बच्चों को सांझा चूल्हा के माध्यम से सुबह का नराश्ता एंव दोपहर का भोजन प1थक प1थक मीनू अनुसार पूरक पोषण आहार के रूप में दिये जाने का

प्रावधान है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक मगलवार को समस्त हितग्राहियों को खीर पुडी दिये जाने का प्रावधान है। 06 माह से 06 वर्ष तक के गंभीर कुपोषित बच्चों हेतु तीसरा मील के रूप में चावल सोया का लड्डू, मीठी मठरी, मूंगफली, चना चिक्की दिये जाने का प्रावधान है। उक्त पोषण आहार में 12 से 15 ग्राम प्रोटीन तथा 500 कैलोरी उर्जा होना आवश्यक है।

03 वर्ष से 06 वर्ष तक के बच्चों को सांझा चूल्हा के माध्यम से सुबह का नाश्ता एंव दोपहर का भोजन पृथक पृथक मीनू अनुसार पूरक पोषण आहार के रूप में दिये जाने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक मगलवार को समस्त हितग्राहियों को खिर पुडी दिये जाने का प्रावधान है । 06 माह से 06 वर्ष तक के गंभीर कुपोषित बच्चों हेतु तीसरा मील के रूप में चावल सोया का लड्डू, मीठी मठरी, मूंगफली, चना चिक्की दिये जाने का प्रावधान है। उक्त पोषण आहार में 12 से 15 ग्राम प्रोटीन तथा 500 कैलोरी उर्जा होना आवश्यक है।

कुपोषित बच्चों को 20 से 25 ग्राम प्रोटीन एवं 800 कैलोरी एवं गर्भवती/धात्री माताओं को 18 से 20 ग्राम प्रोटीन एवं 600 कैलोरी उर्जा मात्रा में पोषण आहार दिया जाता है।

2. स्वास्थ्य जॉच :–

प्रत्येक आंगनवाड़ी केन्द्र में प्रत्येक माह टीकाकरण के दिन ए.एन.एम तथा स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा महिलाओं तथा बच्चों की स्वास्थ्य जॉच की जाती है। स्वास्थ्य जॉच के आधार पर स्वास्थ्य में सुधार हेतु आवश्यक सलाह हितग्रहियों को दी जाती है।

3. संदर्भ सेवाएँ :–

स्वास्थ्य जॉच के आधार पर आवश्यक होने पर महिलाओं एवं बच्चों को खण्ड चिकित्सा अधिकारी अथवा विकासखण्ड/जिलास्तरीय चिकित्सालयों में रेफर किया जाता है।

4. टीकाकरण :–

प्रति आंगनवाड़ी प्रतिमाह किसी एक सप्ताह के कोई एक दिन टीकाकरण के लिये निर्धारित रहता है। उक्त दिवस में ए.एन.एम द्वारा आंगनवाडी केन्द्र पर बच्चों, गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया जाता है। टीकाकरण के दौरान हितग्राहियों की स्वास्थ्य जॉच भी की जाती है।

5. पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा :–

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं ए.एन.एम द्वारा उनके कार्यक्षेत्र में गृह भेंट करने का प्रावधान है। गृहभेंट के दौरान महिलाओं को प्राथमिक स्वास्थ्य की देखभाल तथा संतुलित भोजन के बारे में सलाह दी जाती है।

6. स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा :–

आंगनवाड़ी केन्द्रों का मुख्य उद्देश्य बच्चों का मानसिक विकास करना भी है जिससे वह प्राथमिक स्कूल में ओर बेहतर तरीके से शिक्षा प्राप्त कर सकें। इसके लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को खेल–खेल में शिक्षा दी जाती हैं।

बच्चों को प्राकृतिक संसाधनों जैस – जल, जंगल, जानवर, इत्यादि के बारे में प्रारंभिक ज्ञान कराया जाता है। बच्चों के खेलने हेतु खिलौनों का क्रय करने के लिए प्रति आंगनवाड़ी प्रतिवर्ष 500 रूपये की राशि का प्रावधान है। जिसके द्वारा आंगनवाड़ी केन्द्रों को प्रतिवर्ष 1 प्री–स्कूल किट उपलब्ध कराया जाता हैं।

7. स्वास्थ्य सेवाएँ :–

विभाग द्वारा स्वास्थ्य से संबंधित सेवाएँ पृथक से नहीं दी जाती है बल्कि स्वास्थ्य विभाग के अमले को स्वास्थ्य संम्बन्धी सेवाएँ देने के लिए आंगनवाड़ी केन्द्र के रूप में एक प्लेटफार्म उपलब्ध कराया जाता हैं। आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से दी जाने वाली 6 सेवाओं में से 4 सेवाएँ स्वास्थ्य विभाग के अमले के सहयोग से दी जाती है। विभाग द्वारा प्रति आंगनवाड़ी प्रतिवर्ष एक मेडिसिन किट उपलब्ध कराया जाता है। जिसमें सामान्य बिमारीयों के प्राथमिक उपचार के लिए दवाईयॉ दी जाती हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा उक्त दवाईयों का उपयोग ए.एन.एम की मदद एवं मार्गदर्शन से किया जाता है। मेडिसिन किट्स के लिए प्रति आंगनवाड़ी केन्द्र के लिये अधिकतम राशि रूपये 1000/–प्रतिवर्ष तथा उप आंगनवाड़ी केन्द्र के लिये राशि रू. 500 /– प्रतिवर्ष का प्रावधान है।

महिला एवं बाल विकास विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग के क्षेत्रीय अमले में सामजस्य स्थापित करने हेतु प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य एवं प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास के हस्ताक्षर से संयुक्त कार्ययोजना समस्त जिलों को प्रेषित की गई है। दोनों विभागों के समन्वय से आंगनवाड़ी केन्द्रों के हितग्राहियो को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होने की संभावना है।

एकीकृत बाल विकास सेवा के तहत बाल विकास सेवाओं का नवीन स्वरूप

भारत में आई.सी.डी.एस.कार्यक्रम सन् 1975 से प्रारंभ किया गया। इसी के साथ प्रदेश के सिंगरोली जिले के बैढ़न विकास खण्ड एवं जगदलपुर जिले के आदिवासी विकास खण्ड टोकपाल जिले से आई.सी.डी.एस.योजना का शुभारंभ हुआ। (जगदलपुर जिला अब छत्तीसगढ़ राज्य में आता है।) इसके पश्चात् धीरे–धीरे कार्यक्रम का विस्तार संपूर्ण मध्यप्रदेश में किया गया।

वर्तमान में मध्यप्रदेश के 51 जिलों के सभी 313 विकास खण्डों में 278 ग्रामीण और 102 आदिवासी परियोजनाएँ संचालित हैं। इसके अतिरिक्त 73 शहरी बाल विकास परियोजनाओं सहित प्रदेश में कुल 453 समेकित बाल विकास परियोजनाएँ संचालित हैं। 453 बाल विकास परियोजनाओं में कुल 80160 आँगनबाड़ी केन्द्र एवं 12070 उप आँगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत हैं।

वर्ष 2008–09 में आई.सी.डी.एस.का सार्वभौमिकरण अर्थात् हर हितग्राही की पहुंच में आई.सी.डी.एस.सेवा की सुविधा उपलब्ध कराए जाने का निर्णय लिया गया। जिसमें उभर कर आई चुनौतियों को मुख्य रूप से 2 भागों में चिन्हित किया गया।

1. कार्यक्रम संबंधी चुनौतियां
2. संचालन संबंधी चुनौतियां

उक्त चुनौतियों से निपटने के लिए विभिन्न स्तरों पर आमंत्रित सुझावों के आधार पर आई.सी.डी.एस सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए इस पुर्नसरंचना की गई, जिसमें ई.सी.सी.ई. यानि प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा के संबंध में निम्नानुसार प्रावधान किए गए।

1. **कार्यक्रम संबंधी सुधार के लिए –**

1.1 केंद्रों को वाइब्रेंट बनाना

- आंगनबाड़ी केंद्रों को "वाइबरेंट ई.सी.डी.केंद्रों" के रूप में स्थापित करना ताकि आंगनबाड़ी केंद्र स्वास्थ्य, पोषण तथा आरंभिक शिक्षा के लिए पहली सीढ़ी बन सकें।
- पर्याप्त स्थान तथा मानव संसाधनों की उपलब्धता।
- प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल तथा 6 वर्ष तक की आयु के अनुरूप सर्वांगीण विकास पर ध्यान केंद्रित करना।
- 6 महीने से 6 वर्ष के ऐसे बच्चों के लिए डे केयर क्रेचों की व्यवस्था जिनकी माताएं काम पर जाती हैं।

1.2 भौतिक संसाधन

- बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए पक्के भवनों की उपलब्धता।
- मौजूदा आंगनबाड़ी केंद्र के भवनों का उन्ननयन तथा रख–रखाव की व्यवस्था। उन्नयन के लिए उपलब्ध कराई गई राशि से आंगनबाड़ी केंद्रों को चाइल्ड फ्रेंडली बनाना। अर्थात् बच्चों की आवश्यकताओं के अनुरूप आकर्षक बनाना। जिसमें सम्मिलित हैं – रसोई घर, पीने का साफ पानी, बच्चों की आवश्यकता के अनुरूप शौचालय, दीवार पर पेंटिंग, खेलने का स्थान और सीखने के लिए आनंददाई वातावरण की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।
- किराए के भवन में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों के किराए में बढ़ोत्तरी।
    - ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केंद/मिनी आंगनबाड़ी केंद्र के लिए रू.750/– तक!
    - शहरी क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केंद्र/ मिनी आंगनबाड़ी केंद्र के लिए रू. 3000/– तक!
    - महानगरों में आंगनबाड़ी केंद्र/ मिनी आंगनबाड़ी केंद्र के लिए रू.5000/– तक!
    - उक्त किराया निर्धारित स्थान तथा शर्तों की पूर्ति किए जाने पर दिया जाएगा।

1.3 सेवाओं को मजबूत पैकेज (बनाना)

आई.सी.डी.एस.मिशन के तहत दी जाने वाली 6 सेवाओं को अब नवीन स्वरूप में लागू किया जाएगा। इसके लिए आंगनबाड़ी केंद्रों का रूपांतरण आरंभिक बाल्यावस्था के

देखभाल और विकास केंद्र के रूप में किया जाएगा। अब आंगनबाड़ी पर दी जाने वाली सेवाओं की पहचान निम्नानुसार होगी।

क्र.	घटक	सेवाएं	लक्ष्य
1	प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल, शिक्षा तथा विकास	• प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल • शिक्षा / शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा • पूरक आहार	0–3 वर्ष, माता–पिता / देखभाल करने वाले 3–6 वर्ष, माता– पिता/देखभाल करने वाले
		• पूरक आहार	6 माह से 3 वर्ष, 3–6 वर्ष, गर्भवती और दूध पिलाने वाली माताएं
2	देखभाल तथा पोषण परामर्श	• शिशु तथा बाल फीडिंग संर्वधन तथा परामर्श • सेवाएं मातृ देखभाल तथा परामर्श	गर्भवती तथा दूध पिलाने वाली माताएं तीन वर्ष से कम आयु वाले बच्चों की माताएं
		• देखभाल पोषण स्वास्थ्य तथा साफ–सफाई शिक्षा	गर्भवती तथा दूध पिलाने वाली माताएं तथा अन्य देखभाल करने वाले समुदाय तथा परिवार
		• समुदाय आधारित देखभाल और जन्म के समय कम वनज वाले बच्चों का प्रबंधन	सामान्य रूप से गंभीर रूप से कम वजन वाले बच्चे, उनकी माताएं और देखभाल करने वाले
3	स्वास्थ्य सेवाएं	• प्रतिरक्षण तथा सूक्ष्म पोषक तत्व पूरक आहार • स्वास्थ्य जांच • रैफरल सेवाएं	लक्ष्य समूह 0–3 वर्ष, 3–6 वर्ष गर्भवती तथा दूध पिलाने वाली माताएं
4	समुदाय लामबंदी जागरूकता पक्ष समर्थन तथा आई.ई.सी.	• आई.ई.सी.अभियान तथा ड्राइव आदि	लक्ष्य समूह परिवार तथा समुदाय

1.4 आरंभिक बाल्यावस्था देखभाल तथा शिक्षा को मजबूत बनाना

आंगनबाड़ी केंद्रों को कोर सेवा के रूप में आरंभिक बाल्यावस्था देखभाल तथा शिक्षा को मजबूत बनाने पर ध्यान दिया जाने का निर्णय लिया गया। प्रारंभिक बाल्यावस्था का समिर्पित 4 घण्टे का सत्र उसके बाद पूरक आहार, अभिवृद्धि मॉनिटरिंग तथा अन्य संबंधित हस्तक्षेप किए जाएंगे।

ई.सी.सी.ई.की विषयवस्तु/गुणवत्ता संवर्धन के अतिरिक्त जिसमें मातृ शिशु कार्ड पैकेज के साथ–साथ विकास मानकों में देरी का पता लगाने और विशेष जरूरतों वाले बच्चों को आरंभिक हस्तक्षेप भी हाथ में लिए जाएंगे।

गुणवत्ता युक्त आरंभिक बाल्यावस्था देखभाल तथा शिक्षा के आवश्यक तत्वों को सुनिश्चित करने के लिए निम्न कार्यकलाप निर्धारित किए जाने का निर्णय लिया गया।

1. विनियम, प्रतिमान और मानकों की स्थापना करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया।
2. बच्चों के सर्वांगीण विकास के लक्ष्य को सामने रखते हुए बाल विकास केंद्रों को विकसित किया जाना निर्धारित किया गया।
3. कार्यकलापों तथा बच्चों की आयु के अनुरूप पाठ्यक्रम।
4. राज्य संदर्भ के अनुसार स्कूलों में आंगनबाड़ी केंद्रों में 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए शाला जाने की तैयारी सुनिश्चित करना।
5. ''हैंड्स ऑन'' अनुभव आधारित प्रशिक्षण के माध्यम से बच्चों के काम करने के लिए समुचित रूप से प्रशिक्षण! पूरी तरह से प्रेरित गुणवत्ता पूर्ण कार्यबल उपलब्ध कराने की व्यवस्था करना। प्रशिक्षण के लिए विशेष मॉड्यूल तैयार किया जाना।
6. बच्चों की अलग–अलग आयु के हिसाब से बड़ों और बच्चों के आपसी संबंध क्रियाओं की सुविधा उपलब्ध करवाना।
7. सहायक, बाल अनुकूल, कम लागत वाले, और विशिष्ट संस्कृति की आधार भूत संरचना की उपलब्धता सुनिश्चित करना
8. गुणवत्ता में सुधार सुनिश्चित करने के लिए पर्यवेक्षण और मॉनिटरिंग की व्यवस्था करना।

भारत सरकार के द्वारा किए गए प्रावधान–

1. ई.सी.सी.ई.की राष्ट्रीय नीति बनाई गई।
2. ई.सी.सी.ई.की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का फ्रेमवर्क बनाया गया।
3. गुणवत्ता युक्त ई.सी.सी.ई के लिए मापदण्ड निर्धारित किए गए।
4. राष्ट्रीय ई.सी.सी.ई.परिषद की स्थापना की गई।
5. राष्ट्रीय स्तर पर आदर्श पी.एस.ई.किट तैयार की गई। आंगनबाड़ी केंद्रों पर उपलब्ध कराई जाने वाली किट की राशि 3000/– तथा मिनी केंद्रों के लिए 1500/–।
6. आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण और संसाधन उपलब्ध करवाने का प्रावधान किया गया ताकि वे अध्ययन अधिगम सामग्री के साथ पाठ्यक्रम गतिविधियां तैयार कर सकें।
7. सामुदायिक सहभागिता के लिए मासिक रूप से ई.सी.सी.ई.दिवस (बाल चौपाल) का आयोजन। आयोजन के लिए प्रति आंगनबाड़ी केंद्र 1000/– की वार्षिक धनराशि उपलब्धता तय की गई।

प्रदेश के द्वारा किए गए प्रावधान–

भारत सरकार की ई.सी.सी.ई.पॉलिसी तथा पाठ्यचर्या के अनुरूप प्रदेश की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए निम्नानुसार सामग्री तैयार की गई।

- आंगनवाड़ी केंद्रों को सक्रिय विकास केंद्रों के रूप में विकसित किए जाने के लिए प्रतिमाह ''बाल चौपाल'' का आयोजन प्रारंभ किया गया।

- प्रदेश तथा देश के विभिन्न विषय विशेषज्ञों की मदद से पाठ्यचर्या का निर्माण किया गया।
- पाठ्यचर्या के अनुरूप पाठ्यक्रम के लिए विषयों का निर्धारण किया गया। विषयों के अनुरूप रोचक पाठ्यसामग्री का निर्माण किया गया।
- बच्चों के लिए आयु समूह के अनुसार 3 एक्टिविटी वर्क बुक (गतिविधि कार्यपुस्तिका) तैयार करवाई गईं।
- बच्चों के विकास का अवलोकन करने के लिए शिशु विकास कार्ड बनाएं गए।
- आंगनबाड़ी कार्यकताओं तथा पर्यवेक्षकों के लिए प्रशिक्षण मार्गदर्शिका तैयार की गई।
- राज्य स्तर पर ई.सी.सी.ई.परिषद का गठन किया गया। परिषद प्रदेश स्तर पर ई.सी.सी.ई.से संबंधित समस्त गतिविधियों के लिए नियमों का निर्धारण तथा क्रियान्वयन के लिए निर्णय लेगी।
- तैयार किए गए पाठ्यक्रम को पूरे प्रदेश में लागू करने से पहले उसके व्यवहारिक प्रयोग की प्रमाणिकता मापने के लिए प्रदेश के 8 जिलों की 14 परियोजनाओं 2569 केंद्रों में इसका प्रयोग करने का निर्णय लिया गया।
- व्यवहारिक प्रयोग में आई कठिनाईयों तथा प्राप्त सुझावों के आधार पर पाठ्यक्रम में आवश्यक संशोधन किए जाने के उपरांत पाठ्यक्रम को प्रदेश के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर लागू किया जाएगा।

8. सबला योजना :–

वर्ष 2010–11 से प्रदेश के 15 जिलों में राजीव गांधी किशोरी बालिका सशक्तिकरण योजना 'सबला' का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस योजना में प्रदेश के क्रमशः श्योपुर, राजगढ़, सीधी, नीमच, झाबुआ, टीकमगढ़, रीवा, भिण्ड, दमोह, इन्दौर, सागर, जबलपुर, भोपाल, बैतूल एवं बालाघाट जिले सम्मिलत है।

सबला योजना में 11 से 18 वर्ष की चिन्हित किशोरी बालिकाओं को उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर पर सुधार, घरेलू कार्य के संपादन में दक्षता, जीवन कौशल को बढ़ावा देना मुख्य घटक है, जिसके क्रियान्वयन हेतु बालिकाओं को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, व्यक्तिगत साफ–सफाई तथा प्रचलित जनकल्याणकारी सुविधाओं की जानकारी एवं परिवार आधारित, जीवन उपयोगी कौशल उन्नयन परामर्श दिया जा रहा है।

9. उदिता योजना :– राज्य शासन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किशोरी बालिकाओं में माहवारी स्वच्छता संबंधित व्यवहारों को बढ़ावा देने हेतु प्रदेश की 11 से 18 वर्ष आयु की लगभग 60,49,929 किशोरी बालिकाओं एवं अन्य महिलाओं को उनके किशोरावस्था के प्रांरभिक काल से ही माहवारी स्वास्थ्य तथा समुचित माहवारी प्रबंधन के

बारे में जागरूकता तथा संवेदनशीलता बढ़ाने,अच्छी गुणवत्ता वाले सेनेटरी नेपकिन के प्रयोग व उसे व्यवहार में लाने के लिए प्रोत्साहित करने,गांव स्तर पर सेनेटरी नेपकिन की उपलब्धता एवं बालिकाओं तक इसकी पहुंच सुनिश्चित करने एवं पोषण संबंधी जागरूकता बढ़ाने हेतु उदिता योजना को वर्ष 2016–17 से पूरे प्रदेश में लागू किया गया है। योजना अंतर्गत आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से प्रदेश में जन–सहयोग से अब तक 88544 उदिता कार्नन स्थापित किये जा चुके है जिनके माध्यम से किशोरियों को सेनेटरी नेपकिन उपलब्ध कराये जा रहे है। योजना अंतर्गत जन–सहयोग एवं समन्वय से सेनेटरी नेपकिन वेंडिग मशीन विभिन्न स्थानों पर जैसे बालिका विद्यालय, प्रशिक्षण केन्द्रों, महाविद्यालयों, कन्या छात्रावासों, सरकारी कार्यालयों एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों जैंसे रेल्वे स्टेशन, बस स्टेंड आदि में स्थापित की गई है।

10. इन्दिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना :–

इन्दिरा गॉधी मातृत्व सहयोग योजना (आई.जी.एम.एस.वाई.) वर्ष 2011 से प्रदेश के दो जिले सागर एवं छिंदवाड़ा में **''राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013''** के तहत संचालित है।

योजना का उद्देश्य 19 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं को प्रथम दो बच्चों हेतु गर्भावस्था, प्रसव एवं स्तनपान के लिये सही एवं सुरक्षित व्यवहार को बढ़ावा देना, शिशुओं को जन्म के पश्चात यथाशीघ्र और छः माह तक की उम्र के शिशु को केवल स्तनपान कराये जाने के लिये महिलाओं को प्रोत्साहित करना है, साथ ही गर्भवती तथा धात्री माताओं को नकद प्रोत्साहन राशि दिया जाकर स्वास्थ्य एवं पोषण में सुधार लाना है। यह योजना बच्चे के जन्म से पहले एवं पश्चात गर्भवती एवं धात्री कामकाजी महिलाओं की मजदूरी के घाटे की आंशिक क्षतिपूर्ति का प्रयास भी करती है।

<u>विशेष नोट</u> *:* **इस स्कीम का उद्देश्य मजदूरी की हानि की आंशिक क्षतिपूर्ति करना है ताकि लाभार्थी महिला को गर्भवस्था के अंतिम चरण तक कामकाज न करना पड़े और प्रसव के बाद भी वह पर्याप्त आराम कर सके।**

योजनान्तर्गत प्रत्येक हितग्राही को (सशर्त मातृत्व लाभ) रू. 6000/– दो किस्तों में प्रथम किस्त 3000 एवं द्वितीय किस्त 3000/– देने का प्रावधान है। प्रति गर्भवती तथा धात्री माताओं के लिये आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं को क्रमशः रूपये 200 एवं रूपये 100 की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। प्रदेश में कुल लाभार्थियों की संख्या वर्षवार निम्नानुसार है –

क्र.	वित्तीय वर्ष	लाभार्थियों की संख्या
1	2011–12	71,523
2	2012–13	31,550
3	2013–14	44,231
4	2014–15	50,319
5	2015–16	12,321
6	2016–17 (अप्रैल 2016– दिसम्बर 2016)	49,850
कुल		2,59,794

11. राष्ट्रीय किशोरी शक्ति योजना :–

किशोरी शक्ति योजना 11–18 वर्ष की किशोरी बालिकाओं को स्वास्थ्य की देखभाल संतुलित भोजन व आर्थिक स्वालंबन हेतु प्रशिक्षण देने के लिये प्रदेश के सभी 453 बाल विकास परियोजना में अक्टूबर,2001 से प्रारंभ की गई है। इस योजना के तहत दिये जाने वाले प्रशिक्षण के लिये बालिकाओं के चयन हेतु निम्न मापदण्ड तय किये गये हैं :–

1. बालिका गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार से हो।
2. गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों में भी सर्वप्रथम शाला त्यागी बालिका को प्राथमिकता दी जाए।
3. उपरोक्त दोनों मापदण्ड पूरी करने वाली 16 से 18 वर्ष की बालिकाओं का चयन प्रारम्भ वर्ष मं` किया जाए।

उपरोक्त मापदण्ड के अनुसार चयनित किशोरी बालिका की सूची का अनुमोदन ग्राम सभा की स्वास्थ्य समिति द्वारा किया जाता है। इस योजना में जिला स्तरीय प्रशिक्षण, विकास खण्ड स्तरीय प्रशिक्षण एवं पंचायत स्तरीय प्रशिक्षण का आयोजन किया जाकर विभिन्न स्तर के मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षित किया गया है। प्रशिक्षण के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत से लगभग 18 किशोरी बालिकाओं का चयन कर उनको 3 विभागीय पर्यवेक्षक, ए0एन0एम0 तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा तीन दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाता है।

प्रशिक्षण में किशोरी बालिकाओं को संतुलित आहार, स्वास्थ्य की देखभाल तथा आर्थिक स्वावलंबन हेतु प्रशिक्षण एवं अन्य जीवनोंपयोगी जानकारी भी दी जाती है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में वर्ष भर में कुल 3 दिवसीय प्रशिक्षणों का आयोजन तीन–तीन माह के अंतराल पर दिये जाने का प्रावधान है। ग्राम पंचायत स्तरीय प्रशिक्षण के समय ए0एन0एम0 द्वारा किशोरी बालिकाओं का स्वास्थ्य परीक्षण कर आयरन फोलिक एसिड की गोलियां तथा आवश्यक होने पर डिवार्मिंग गोलियां भी उपलब्ध करायी जाती है। वर्तमान में उक्त योजना प्रदेश की सभी 336 परियोजनाओं में संचालित की जा रही है।

11. पूरक पोषण आहार कार्यक्रम :–

मध्यप्रदेश में भारत सरकार द्वारा स्वीकतृ 453 एकीकृत बाल विकास परियोजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत 97135 आंगनवाडी केन्द्रों में पोषण आहार की व्यवस्था राज्य सरकार की निधि से की जा रही है ।

1. पूरक पोषण आहार :–

6 वर्ष से कम उम्र के गरीब बच्चों, गर्भवती व दूध पिलाने वाली माताओं तथा किशोरियों की पहचान हेतु समुदाय के सभी परिवारों का सर्वेक्षण किया जाता है तथा साल में तीन सौ दिन पूरक पोषण आहार दिया जाता हैं। मध्यप्रदेश में वतर्मान में 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चों को हलुवा (प्रीमिक्स), बालआहार, एवं खिचडी तथा गर्भवती/धा़त्री माताओं एवं किशोरी बालिकाओं को गेहूॅ साया बर्फी (प्रीमिक्स), आटा , बैसन, लड्डू एवं खिचडी एम पी एग्रो के माध्यम से निर्धारित मात्रा में अलग अलग दिवसों में पूरक पोषण आहार दिया जाने का प्रावधान है। शहरी क्षेत्र के परियोजनाओं में 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को स्व सहायता समूह/महिला मण्डल /मातृसहयोगिनी समिति के द्वारा लोकल फूड मार्डल के आधार पर सुबह का नाश्ता एंव दोपहर का भोजन पृथक पृथक मीनू अनुसार पूरक पोषण आहार के रूप में दिये जाने का प्रावधान है। ग्रामीण क्षेत्रों की बाल विकास परियोजनाओं में 03 वर्ष से 06 वर्ष तक के बच्चों को सांझा चूल्हा के माध्यम से सुबह का नराश्ता एंव दोपहर का भोजन पृथक पृथक मीनू अनुसार पूरक पोषण आहार के रूप में दिये जाने का प्रावधान है इसके अतिरिक्त प्रत्येक मगलवार को समस्त हितग्राहियों को खिर पुडी दिये जाने का प्रावधान है । 06 माह से 06 वर्ष तक के गंभीर कुपोषित बच्चों हेतु तीसरा मील के रूप में चावल सोया का लड्डू, मीठी मठरी, मूंगफली, चना चक्की दिये जाने का प्रावधान है। उक्त पोषण आहार में 12 से 15 ग्राम प्रोटीन तथा 500 कैलोरी उर्जा होना आवश्यक है। कुपोषित बच्चों को 20 से 25 ग्राम प्रोटीन एवं 800 कैलोरी एवं गर्भवती/धात्री माताओं को 18 से 20 ग्राम प्रोटीन एवं 600 कैलोरी उर्जा मात्रा में पोषण आहार दिया जाता है।

एकीकृत बाल विकास सेवा प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत नवनियुक्त पर्यवेक्षकों/आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को तत्काल आंगनवाड़ी की सेवाएॅ प्रारंभ करने हेतु सर्वप्रथम इंडक्शन प्रशिक्षण दिया जाता है एवं तत्पश्चात पर्यवेक्षकों/कार्यकर्ताओं/सहायिकाओं को मूलभूत एवं दो वर्ष उपरांत प्रत्यास्मरण प्रशिक्षण दिया जाता है।

प्रशिक्षण– एकीकृत बाल विकास सेवा अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिकाओं के प्रशिक्षण हेतु 10 शासकीय एवं 16 अशासकीय आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र (Anganwadi Worker Training Center) एवं पर्यवेक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन के लिये 02 अशासकीय मध्यस्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र (Middle Level Training Center) संचालित है जिनका विवरण निम्नानुसार हैः–

प्रदेश में संचालित प्रशिक्षण केन्द्रों की सूची :–

मध्य स्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र

क्र0	मध्य स्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र	जिला
1	मध्यस्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र, राज्य ग्रामीण विकास संस्थान	जबलपुर
2	मध्यस्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र , बाल निकेतन संघ	इंदौर

शासकीय आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र

क्र0	शासकीय आंगनवाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र	जिला
1	ऑगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र जबलपुर 1	जबलपुर
2	ऑगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र जबलपुर 2	जबलपुर
3	ऑगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र टीकमगढ	टीकमगढ
4	ऑगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र धार	धार
5	ऑगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र, शिवपुरी	शिवपुरी
7	ऑगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र , राजगढ़	राजगढ़
8	ऑगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र पवारखेड़ा	होशंगाबाद
9	ऑगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र– नौगांव	छतरपुर
10	ऑगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रशि0केन्द्र–ओबेदुल्लागंज	रायसेन

अशासकीय आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र

क्र0	अशासकीय आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र	जिला
1	ऑगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र महिला चेतना मंच	भोपाल
2	ऑगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र इंडियन इं. ऑफ एना. बैतुल	बैतुल
3	ऑगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र सव्यसांची सेन्टर रीवा	रीवा
4	ऑगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र संव्यसांची सेन्टर सीधी	सीधी
5	ऑगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र बाल निकेतन संघ	इन्दौर
6	ऑगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र बाल कल्याण परिषद,	ग्वालियर
7	ऑगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र बाल कल्याण परिषद, रतलाम	रतलाम
8	ऑगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र बाल कल्याण परिषद,	सिवनी
9	ऑगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र मातृशक्ति सेवा प्रशिक्षण केन्द्र	गुना
10	ऑगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र रमाशंकर शिक्षा समिति	मुरैना
11	ऑगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र बाल कल्याण परिषद,	भोपाल
12	ऑगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र बाल कल्याण परिषद, झाबुआ	झाबुआ
13	ऑगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र बाल कल्याण परिषद,	शहडोल
14	ऑगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र बाल कल्याण परिषद,	उज्जैन
15	ऑगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र बाल कल्याण परिषद,	मण्डला
16	ऑगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र बाल कल्याण परिषद,	छिन्दवाडा

विभिन्न स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम :–

अ. सहायक संचालकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम–

सहायक संचालकों को आधारभूत प्रशिक्षण आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी, भोपाल के माध्यम से आयोजित किये जा रहे है।

ब. परियोजना अधिकारियो के प्रशिक्षण कार्यक्रम–

(i) राष्ट्रीय जनसहयोग एवं बाल विकास संस्थान (निपसिड) नई दिल्ली के माध्यम से परियोजना अधिकारियो के लिए मूलभूत एवं प्रत्यास्मरण प्रशिक्षण कार्यक्रमो का आयोजन मुख्यालय नई दिल्ली एवं क्षेत्रीय कार्यालय इन्दौर एवं लखनऊ के माध्यम से आयोजित किये जाते है।

(ii) परियोजना अधिकारियों के आधारभूत प्रशिक्षण, आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी, भोपाल के माध्यम से आयोजित किये जाते है।

स. अनुदेशिकाओं एवं सहायक अनुदेशिकाओं का प्रशिक्षण–

प्रदेश में संचालित 02 मध्यस्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र इन्दौर एवं जबलपुर में यह प्रशिक्षण आयोजित किये जाते है।

द. पर्यवेक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम :–

(i) नवनियुक्त पर्यवेक्षको को सर्वप्रथम सात दिवसीय इण्डक्शन प्रशिक्षण संभागीय संयुक्त संचालको के माध्यम से संभाग स्तर पर आयोजित किये जा रहे है।

(ii) पर्यवेक्षको के मूलभूत एवं प्रत्यास्मरण प्रशिक्षण मध्यस्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र बाल निकेतन संध इन्दौर एवं मध्यस्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र राज्य ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थान, जबलपुर के माध्यम से ऑनलाइन नामांकन के आधार पर प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है।

य. ऑगनवाडी कार्यकताओं एवं सहायिकाओं के प्रशिक्षणः–

(i) प्रदेश में संचालित 10 शासकीय एवं 16 अशासकीय ऑगनवाडी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्रो के माध्यम से ऑगनवाडी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओ के मूलभूत एवं प्रत्यास्मरण प्रशिक्षणो का आयोजन ऑनलाइन नामांकन के आधार पर आयोजित किये जा रहे है।

(ii) ऑगनवाडी कार्यकर्ताओं को सर्वप्रथम सात दिवसीय इण्डक्शन प्रशिक्षण जिला स्तर पर जिला कार्यक्रम अधिकारी के माध्यम से संयुक्त संचालक के मार्गदर्शन में संपादित किये जा रहे है।

12. भवन :–

प्रदेश में वर्तमान में 56,711 आंगनवाड़ी केन्द्र विभागीय/अन्य शासकीय भवनों में 21,989 आंगनवाड़ी केन्द्र किराये के भवन में एवं 3,242 अन्य भवनों में संचालित हैं। मध्यप्रदेश विजन दस्तावेज 2018 में आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से शिशु देखभाल एवं शिक्षा प्रणाली (ई.सी.सी.ई) के प्रभावी एवं सशक्त क्रियान्वयन हेतु प्रत्येक जिले में 80 प्रतिशत आंगनवाड़ियों के लिये बाल सुलभ भवन एवं सुविधाओं का निर्माण तथा अधोसंरचना के विस्तार मुख्य रूप से सम्मिलित हैं।

उक्त दृष्टिकोण को मूर्तरूप देने के लिये बाल सुलभ आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण एवं विकास हेतु ड्राइगं/डिजाईन विकसित कर जिलों को उपलब्ध कराये गये हैं।

भारत सरकार द्वारा मनरेगा योजना के अभिसरण से प्रदेश के **IPPE (Intensive Participatary Plan Exercise)** विकासखण्ड/**30 ISSNIP** जिलों में वर्ष 2015–16 के लिये 5,000 एवं वर्ष 2016–17 के लिये **IPPE (Intensive Participatary Plan Exercise)** विकासखण्ड/ **Non IPPE** विकासखण्डों में 7,000 इस प्रकार कुल 12,000 आंगनवाड़ी भवन निर्माण हेतु स्वीकृति दी गई है। इन निर्मित हो रहे आंगनवाड़ी भवनों में स्वच्छ पेयजल हेतु हैण्डपंप, शौचालय एवं परिसर में बच्चों के खेलने हेतु पर्याप्त व्यवस्था प्रावधानित हैं।

भारत सरकार द्वारा प्रदेश के **IPPE (Intensive Participatary Plan Exercise)** विकासखण्ड/**30 ISSNIP** जिलों में वर्ष 2015–16 के लिये स्वीकृत 5,000 आंगनवाड़ी भवनों में से 2,500 एवं वर्ष 2016–17 के लिये **IPPE (Intensive Participatary Plan Exercise)** विकासखण्ड/ **Non IPPE** विकासखण्डों में स्वीकृत 7,000 आंगनवाड़ी भवनों में से 2,500 आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण हेतु राशि जारी कि जा चुकी है।

राज्य आयोजना मद अन्तर्गत प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में 1000 नवीन आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण के साथ पूर्व में स्वीकृत राशि के आभाव के कारण अप्रारंभ एवं अपूर्ण आंगनवाड़ी भवनों को पूर्ण कराने हेतु राशि रू. 154.63 करोड़ की स्वीकृति प्राप्त की गई।

इसी प्रकार आदिम जाति कल्याण विभाग के सहयोग से विशेष केन्द्रीय सहायता अन्तर्गत प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में 178 बाल सुलभ आर्दश आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये है। जिनका निर्माण कार्य भी प्रगति पर हैं। इसके अतिरिक्त उक्त स्वीकृत भवनों में से वनक्षेत्रों में स्वीकृत भवनों का निर्माण कार्य हेतु वन विभाग से समन्वय कर वन विभाग को निर्माण ऐजेन्सी बनाया गया है।

9. प्रयोगात्मक परियोजनाए :–

भारत शासन के निर्देशानुसार प्रयोगात्मक तौर पर 3 आई.सी.डी.एस. परियोजनाएं अशासकीय संस्थाओं को सौंपी गई हैं, जो निम्नानुसार है :–

क्र.	परियोजना का नाम	संस्था का नाम
1	समेकित बाल विकास परियोजना, तेंदुखेड़ा जिला दमोह	जनपद पंचायत, तेन्दुखेड़ा, जिला दमोह वर्तमान में इसे शासनाधीन किया जा चुका है ।
2	समेकित बाल विकास परियोजना, सीधी	1. गुरूकुल शिक्षा समिति, झिरिया 2. सव्य सांची सेंटर, सीधी 3. अभियान महिला मंडल, अमलहा, सीधी
3.	समेकित बाल विकास परियोजना सिहावल, सीधी	4. जनपद पंचायत सिहावल, जिला सीधी वर्तमान में इसे शासनाधीन किया जा चुका है

राज्य शासन के द्वारा प्रदेश के विभिन्न जिलों में 10 शासकीय आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 27 अशासकीय संस्थाओं के द्वारा राज्य शासन के माध्यम से प्राप्त होने वाली अनुदान राशि से भी प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है। इनमें मध्यप्रदेश बाल कल्याण परिषद के द्वारा संचालित होने वाले 9 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र भी शामिल है।

राज्य के द्वारा बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं पर्यवेक्षकों के मूलभूत प्रशिक्षण का बैकलॉग समाप्त कर लिया गया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं का बैकलॉग भी समय–सीमा में पूर्ण कर लिया जाएगा। मध्यप्रदेश राज्य के प्रशिक्षण केन्द्रों की बेहतर गुणवत्ता के कारण बिहार राज्य के आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्रों के अनुदेशकों का उन्मुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम जबलपुर एवं इन्दौर के मध्यस्तरीय प्रशिक्षण केन्द्रों में आयोजित किया गया। इसी तरह महाराष्ट्र के बाल विकास परियोजना अधिकारियों के प्रशिक्षण का कार्य महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान जबलपुर में आयोजित किया जा चुका है। बाल विकास परियोजना अधिकारियों को निपसिड इंदौर में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

2.7 लोक प्राधिकरण विभिन्न स्तरों (शासन,निदेशालय,क्षेत्र,जिला,ब्लाक आदि) पर संगठनात्मक ढ़ाँचा

2.8 लोक प्राधिकरण की कार्यदक्षता बढ़ाने हेतु जन सहयोग की अपेक्षाऍं

2.9 जन सहयोग सुनिश्चित करने के लिये विधि/व्यवस्था

2.10 जन सेवाओं के अनुश्रवण एवं शिकायतों के निराकरण की व्यवस्था

2.11 मुख्य कार्यालय तथा विभिन्न स्तरों पर कार्यालयों के पते

2.12 कार्यालय के खुलने का समय – प्रातः 10.30 कार्यालय बंद होने का समय – साय 5. 30

अध्याय–3
अधिकारियों और कर्मचारियों
की शक्तियॉ एवं कर्तव्य

3.1 अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियों एवं कर्तव्यों का विवरण निम्नानुसार हैः–

पद नाम		
शक्तियॉ	प्रशासकीय	**1. प्रशासकीय विभाग (महिला एवं बाल विकास विभाग)** – प्रथम एवं व्दितीय श्रेणी के अधिकारियों से संबंधित समस्त अधिकार **2. आयुक्त एकीकृत बाल विकास सेव**ा – द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही एवं निलंबन के अधिकार । तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों से संबंधित समस्त अधिकार **3. संभागीय आयुक्त** – प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों की विभागीय जॉच तथा लघु शास्ती एवं निलंबन के अधिकार **4. कलेक्टर (महिला एवं बाल विकास)** – सहायक ग्रेड–3 एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति के अधिकार, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के अधिकार, अवकाश स्वीकृति के अधिकार **5. संयुक्त संचालक, एकीकृत बाल विकास सेवा** – जिला कार्यक्रम अधिकारी, परियोजना अधिकारी एवं अधीनस्त पदस्थ तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणियों के अधिकारी एवं कर्मचारियों के शासन द्वारा निर्धारित सीमा तक **6. जिला कार्यक्रम अधिकारी/ जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी** – तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के शासन द्वारा निर्धारित सीमा तक के अवकाश स्वीकृति के अधिकार
वित्तीय एवं अन्य अधिकार		
कर्तव्य	**1. आयुक्त** – एकीकृत बाल विकास सेवा (महिला एवं बाल विकास विभाग) के अंतर्गत संचालित समस्त कार्यक्रमों, योजनाओं का पर्यवेक्षण एवं मूल्याकंन करना तथा योजनाओं की प्रगति की जानकारी भारत सरकार को भेजना, महिलाओं एवं बच्चो के विकास से संबंधित सूचकांकों के स्तर में सुधार के प्रयास करना। कार्यक्रमों एवं योजनाओं की शासन से प्रशासकीय अनुमति उपरांत वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृतियां जारी करना। **2. संभागीय संयुक्त संचालक** – विभाग की समस्त योजनाओं का संचालन करना विशेष कर एकीकृत बाल विकास सेवा योजना से संबंधित समस्त गतिविधियों का क्रियान्वयन और उसका मूल्याकंन सुनिश्चित करना, आई.सी.डी.एस. की सेवाओं की क्षेत्रीय स्तर तक की पहुंच के लिये अन्य विभागों से समन्वय करना। अधीनस्थ कार्यालयों एवं स्वयं के कार्यालय में पदस्थ कर्मचारियों एवं अधिकारियों के वेतन वृद्धि स्वीकृति सहित अन्य आदेश जारी करना। संभाग आयुक्त के मार्गदर्शन में संभाग अंतर्गत संचालित कार्यक्रमों की मॉनीटरिंग करना। **3. जिला कार्यक्रम अधिकारी एकीकृत बाल विकास सेवा** – विभाग के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण , प्रतिमाह का रोस्टर तैयारकर माह मे कम से कम दो परियोजनाओं का निरीक्षण, आगनवाड़ीयों का निरीक्षण, जिले में पोषण आहार की	

	उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करना, आई.सी.डी.एस. कार्यक्रम की सांख्यिकी जानकारी तैयार कर मूल्याकंन करना, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायिकाओं के पदों की पूर्ति, आंगनवाड़ी के सेवाओं का लाभ सभी हितग्राहीयों को पहचु ाना, निर्धारित प्रगति प्र तिवदे न वरिष्ट कार्यालय तक पहुचाना , विभाग की योजनाओं के संचालन हेतु अन्य विभागों से समन्वय आदि। **4. बाल विकास परियोजना अधिकारी** – आई.सी.डी.एस. की प्रमुख कार्यकारणी के रूप मे क्षेत्रीय स्तर पर विभाग की समस्त योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करना, आंगनवाड़ी केन्द्र की गतिविधियां सुनिश्चित करना, परियोजना मे सभी आंगनवाड़ी केन्द्रों का निरीक्षण करना, रिकार्ड का उचित रखरखाव, सभी केन्द्रों में पोषण आहार की उपलब्धता सुनिश्चित कराना, स्वास्थ्य विभाग से समन्वय कर आई.सी.डी.एस.की सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित कराना, सेवाओं के क्रियान्वयन में समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित करना, वरिष्ठ कार्यालयों को प्रगति प्रतिवेदन भेजना

अराजपत्रित

3.1 कृपया निम्न प्रारूप पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियों एवं कर्तव्य का विवरण उपलब्ध करायें ।

पद नाम	सहायक परियोजना अधिकारी/ सहायक सांख्यिकी अधिकारी (सांख्यिकीय अन्वेषक)/ पर्यवेक्षक/ अधीक्षक/ सहायक वर्ग–1/ सहायकवर्ग–2/ सहायक वर्ग–3/ वाहन चालक/ भृत्य/ चौकीदार
कर्तव्य	**1. सहायक सांख्यिकी अधिकारी (सांख्यिकीय अन्वेषक)** – द्वारा परियोजना की क्षेत्रीय जानकारी,लक्ष्य उपलब्धी की रिर्पोटिंग एवं मासिक प्रगति प्रतिवेदन का संकलन कर प्रेषित करना आदि(विस्तृत जानकारी पृष्ठ क्रमांक 15 से 18 तक संलग्न है) । **2. सहायक परियोजना अधिकारियों** – परियोजना अधिकारी के अधीनस्त उनके द्वारा किये जा रहे समस्त कार्यो में सहायोग प्रदान करते है जैसे निरीक्षण/पर्यवेक्षण एवं विभिन्न बैठको एवं मासिक प्रगति प्रतिवेदनों संबंधित जानकारी का संकलन एवं जांच कर प्रेषित करवाना आदि (पृष्ठ क्रमांक 13–14 पर विस्तृत जानकारी) 3. **पर्यवेक्षक** – आंगनबाड़ी केन्द्रों का निरीक्षण/मानदेय का भुगतान कराना टीकाकरण,स्वास्थ्य जांच आदि की जानकारी प्रस्तुत करना एवं मासिक प्रगति रिपार्टे तयैार कर प्रस्ततु करना,स्वास्थ्य विभाग से समन्वय एवं जिला स्तर पर आयोजित जिला अधिकारी के निर्देशानुसार बैठको में भाग लेना आदि ।(पृष्ठ क्रमांक 25 से 30तक) **4. अधीक्षक/सहायक ग्रेड–1,2,3** – जिला अधिकारी के निर्देशानुसार लिपिकीय कार्य का संपादन एवं अधिकारी द्वारा समय–समय पर सौपे गये अन्य कार्यो को करना । **5. वाहन चालक** – जिला अधिकारी को आवंटित वाहन को निर्देशानुसार सचांलन करना आदि । **6. भृत्य/चौकीदार** – अधिकारियों के निर्देशानुसार कार्यालयीन कार्य सुचारू रूप से संपन्न करना ।

अध्याय–4
कृत्यों के निर्वाहन हेतु नियम,विनिमय, अनुदेश, निर्देशिका ओर अभिलेख

4.1 लोक प्राधिकरण अथवा उसके अधिकारियों एवं कर्मियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वाहन के लिये धारित तथा प्रयोग किये जाने वाले नियम, विनियम, अनुदेश, और अभिलेख की सूची निम्न प्रारूप पर प्रस्तुत कराएं (यह सूचना प्रत्येक अभिलेख के लिये पृथक से प्रस्तुत करें)

अभिलेख का नाम – अभिलेख का प्रकार

राजपत्रित भर्ती नियम 2011 एवं समय समय पर संशोधित भर्ती नियम

अभिलेख का संक्षिप्त परिचय

विभाग के राजपत्रित पदों यथा बाल विकास परियोजना अधिकारी, विकास खण्ड महिला सशक्तिकरण अधिकारी, सहायक संचालक, जिला कार्यक्रम अधिकारी/उप संचालक, संयुक्त संचालक एवं अपर संचालक के पदों पर पद पूर्ति हेतु पदोन्नति अथवा सीधी भर्ती के प्रावधानों के बारे मे इन भर्ती नियमों मे उल्लेख है।

नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति कहॉ से प्राप्त कर सकते है ?
पता : संचालनालय, एकीकृत बाल विकास सेवा, 28, अरेरा हिल्स, वात्सल्य भवन भोपाल
दूरभाषः 0755–2550909

फैक्स 0755–2550912

ईमेल commwcd@.nic.in

अन्य 0755–2550910

नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति को प्राप्त करने का शुल्क शासन द्वारा निर्धारित (यदि कोई हो) इसके अतिरिक्त म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 तथा म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966, म.प्र. संशोधित पेंशन उप नियम–59 के उप नियम (1) तहत कार्यवाही करना। इन नियमों की प्रतियां सभी परियोजना कार्यालय एवं जिला कार्यालयों तथा संचालनालय में उपलब्ध हैं।

अराजपत्रित

4.1. लोक प्राधिकरण अथवा उसके अधिकारियों एवं कर्मियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वाहन के लिये धारित तथा प्रयोग किये जाने वाले नियम,विनिमय,अनुदेश,निर्देशिका और अभिलख की सूची निम्न प्रारूप में प्रस्तुत कराये (यह सूचना प्रत्येक अभिलेख के लिये प्रस्तुत करें)

अभिलेख का नाम – मध्यप्रदेश महिला एवं बाल विकास विभाग कार्यपालिक एवं अकार्यपालिक (अराजपत्रित) सेवा भरती नियम–2015

अभिलेख का संक्षिप्त परिचय–सहायक परियोजना अधिकारी/सहायक सांख्यिकी अधिकारी (सांख्यिकीय अन्वेषक)/पर्यवेक्षक एवं लिपिक वर्गीय संवर्ग आदि के भरती नियम एवं समय समय पर निकाले गये संशोघन नियम, विनिमय, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति पता :–

संचालनालय, एकीकृत बाल विकास सेवा, 28 ए, वात्सल्य भवन भोपल, म0प्र0
दूरभाषः– 0755–2550909
फैक्सः– 0755 –2550912
इ.मेलः– commwcd@.nic.in
अन्यः– 2550910

अध्याय–5
नीति निर्धारण व कार्यान्वयन के संबंध में जनता या जन–प्रतिनिधियों से परामर्श के लिए बनायी गयी व्यवस्था का विवरण

नीति निर्धिारण हेतु

5.1 लोक प्राधिकरण द्वारा निर्धारण के संबंध में जनता या जन प्रतिनिधी की परामर्श भागीदारी को कोई प्रावधान नही है।

नीति के कार्यान्वयन हेतु

5.2 लोक प्राधिकरण द्वारा नीति कार्यान्वयन के संबंध में जनता या जन प्रतिनिधी से/की परामर्श/ भागीदारी का कोई प्रावधान नही है।

अध्याय–6
लोक प्राधिकारी के पास उनके नियंत्रण मे उपलब्ध दस्तावेजों का प्रवर्गो के अनुसार विवरण

6.1 लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध शासकीय दस्तावेजो की जानकारी :–

6.1 लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध शासकीय दस्तावेजों की जानकारी देने हेतु निम्न प्रारूप का प्रयोग करें। साथ यह भी बताये की यह दस्तावेज कहॉ उपलब्ध रहते है जैसे कि सचिव स्तर पर,निदेशालय स्तर पर, अन्य (कृपया अन्य का उपयोग करने के स्थान पर स्तर का उल्लेख करें)

क संख्या	प्रवर्ग	दस्तावेज का नाम एवं एक पंक्ति में परिचय	दस्तावेज प्राप्त करने के लिये प्रकिया	धारक / नियंत्रणाधीन
1.	नियम	पेंशन संबंधी नियम (पृष्ठ 32–33)	निर्धारित प्रकिया अनुसार	कार्यालय प्रमुख स्तर के अधिकारी
2.	नियम	अवकाश स्वीकृति संबंधी अधिकार (पृष्ठ कमांक 31)	निर्धारित प्रकिया अनुसार	कार्यालय प्रमुख स्तर के अधिकारी

टीप :– अधिकारी / कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति संशोधित पेंशन नियम 59 के उप नियम(1) के अनुसार सेवा निवृत्ति की तारीख से 03 माह पूर्व कार्यालय प्रमुख प्रारूप 6 (क) तथा 6 (ख) में पेंशन पत्रों को तैयार करने का वास्तविक कार्य करगे I तथा सेवा निवृत्ति के 6 माह पूर्व अपेक्षित सेवा अभिलेख के साथ पेंशन प्राधिकृत करने वाले कार्यालय को भेजेगा।

अध्याय–7
बोर्ड, परिषदों, समितियों एवं अन्य निकायो विवरण

7.1 लोक प्राधिकरण से संबंद्ध बोर्ड, परिषदों, समितियों एवं अन्य निकायों का सक्षिप्त विवरण :–

संचालनालय, एकीकृत बाल विकास सेवा अंतर्गत निगम, मण्डल एवं आयोग नहीं होने से इस संबंध में जानकारी निरंक है। संचालानालय अंतर्गत अटल बाल मिशन का गठन किया गया है, जिसकी विस्तृत जानकारी आगे दी गई है।

अध्याय–8

लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम एवं अन्य विशिष्टियां

लोक प्राधिकरण का नाम – संचालनालय, एकीकृत बाल विकास सेवा, म0प्र0

लोक सूचना अधिकारी

क्र.	नाम	पदनाम	एस.टी.डी. कोड	दूरभाष		फैक्स	ई0मेल	पता
				कार्यालय	आवास			
1	श्री अक्षय श्रीवास्तव	संयुक्त संचालक	0755	255–0928	9425321777	255–0912	commwcd @.nic.in	संचालनालय, एकीकृत बाल विकास सेवा, 28 ए, वात्सल्य भवन भोपल, म0प्र0

सहायक लोक सूचना अधिकारी

क्र.	नाम	पदनाम	एस.टी.डी. कोड	दूरभाष		फैक्स	ई0मेल	पता
				कार्यालय	आवास			
1	श्रीमती ज्योति श्रीवास्तव	उप संचालक	0755	255–0920	9893900890	255–0912	commwcd @.nic.in	संचालनालय, एकीकृत बाल विकास सेवा, 28 ए, वात्सल्य भवन भोपल, म0प्र0

विभागीय अपीलेट अथोरिटी

क्र.	नाम	पदनाम	एस.टी.डी. कोड	दूरभाष		फैक्स	ई0मेल	पता
				कार्यालय	आवास			
1	श्रीमती राजपाल कौर	अपर संचालक	0755	255–0940	9425442601	255–0912	commwcd @.nic.in	संचालनालय, एकीकृत बाल विकास सेवा, 28 ए, वात्सल्य भवन भोपल, म0प्र0

क्षेत्रीय कार्यालयों हेतु लोक सूचना अधिकारी की व्यवस्था

म0प्र0 शासन महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय भोपाल की ज्ञाप क्रं–1(ए)32/2014/50–1 भोपाल दिनांक 16.09.2014 द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का कियान्वयन किये जाने हेतु क्षेत्रीय कार्यालयों हेतु निम्नानुसार लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी की नियुक्ति की गई है :–

क्रं	कार्यालय का स्तर	लोक सूचना अधिकारी	सहायक लोक सूचना अधिकारी	प्रथम अपीलीय अधिकारी
1	संभाग स्तर	संभागीय संयुक्त संचालक	सहायक संचालक, संभागीय कार्यालय	संभागीय आयुक्त/अपर आयुक्त (राजस्व)
2	जिला स्तर	जिला कार्यक्रम अधिकारी	सहायक संचालक, जिला कार्यालय	जिला कलेक्टर
3	जिला स्तर (ऑगनवाडी प्रशिक्षण केंद्र)	मुख्य निर्देशिका प्रशिक्षण केंद्र	कार्यालय सहायक (लिपिक)	जिला कार्यक्रम अधिकारी
4	विकास खण्ड/परियोजना स्तर	परियोजना अधिकारी	सांख्यिकीय अन्वेषक/कार्यालय सहायक (लिपिक)	जिला कार्यक्रम अधिकारी

अध्याय–9

निर्णय लेने की प्रक्रिया

9.1. किसी विषय पर निर्णय लेने के लिए शासन के नियमो (सचिवालय मैनुअल) के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण कर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

9.2 किसी विषय पर निर्णय लेने शासन के निर्धारत नियमों एवं विभागीय सेटअप अनुसार विचार किया जाता है।

9.3 लिये गये निर्णय को जनता तक पहुचाने के लिए प्रिन्ट मिडिया की व्यवस्था है।

9.4 निम्न अधिकारियों की संस्तुति निर्णय लेने के लिए प्राप्त की जाती हैः–

शासन स्तर पर –

प्रमुख सचिव

अपर सचिव/सचिव

उप सचिव

अवर सचिव

संचालनालय स्तर पर –

आयुक्त

अपर संचालक

संयुक्त संचालक

उप संचालक

सहायक संचालक

9.5 अंतिम निर्णय लेने के लिए निम्नानुसार प्राधिकारित अधिकारी हैः–

सचिवालय स्तर के पर – प्रमुख सचिव

संचालनालय स्तर पर – आयुक्त

संभाग स्तर पर – संभाग आयुक्त/ संयुक्त संचालक

जिला स्तर पर – कलेक्टर/जिला कार्यक्रम अधिकारी

परियोजना स्तर पर – परियोजना अधिकारी

9.6 प्रमुख विषय जिस पर लोक प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया जाता है :–

उपरोक्त प्रक्रिया अनुसार विभिन्न स्तर पर

<u>कार्य विवरण एवं निर्णय लेने की प्रकिया</u>

कं	निर्णय प्रकिया	
1	विषय / विवरण	स्थापना संबंधी / पोषण आहार / आई.सी.डी.एस. / अनुदान / योजना / सामाजिक विकास / लेखा / बजट / आडिट / संचार / प्रशिक्षण / मूल्यांकन
2	दिशा–निर्देश	शासन के दिशा निर्देश
3	निर्णय लेने की प्रकिया	शासन द्वारा निर्धारित प्रकिया
4	निर्णय लेने में शामिल अधिकारियों के पदनाम	प्रमुख सचिव / उप सचिव / अवर सचिव / आयुक्त / परियोजना संचालक / संयुक्त संचालक / उपसंचालक / सहायक संचालक
5	निर्णय लेने में शामिल अधिकारियों की सम्पर्क सूचना	मंत्रालय / संचालनालय
6	निर्णय के विरूद्ध कहॉ और कहा अपील करें	मंत्रालय / संचालनालय

अध्याय–10

अधिकारियों और कमर्चारियों की निर्देशिका

10.1 कृपया जानकारी निम्न प्रारूप में जिला वार दें। संचालनालय अंतर्गत पदस्थ आयुक्त एवं प्रथम श्रेणी अधिकारियों का विवरण निम्नानुसार है –

क.सं	नाम	पदनाम	एस.टी.डी कोड	दूरभाष		फैक्स
				कार्यालय	आवास	
1	श्रीमती पुष्पलता सिंह	आयुक्त	0755	2550909	2420548	2550912
2	श्रीमती राजपाल कौर	अपर संचा.	0755	2550940		
3	श्री आर.पी. रमनवाल	अपर संचा.	0755	2577745		
4	श्री राजकुमार त्रिपाठी	वित्त सलाहकार	0755	2550916		
5	श्री अक्षय श्रीवास्तव	संयुक्त संचा.	0755	2550928	9425321777	
6	श्री आर पी सिंह	संयुक्त संचा.	0755	2550922		
7	श्री संजय सिसोदिया	संयुक्त संचा.	0755	2550924		
8	श्री महेन्द्र द्विवेदी	संयुक्त संचा.	0755	2550918		
9	श्रीमती शिवकली वरवड़े	उप संचालक	0755	2550913		
10	श्रीमती ज्योति श्रीवास्तव	उप संचालक	0755	2550920		
11	श्री संजय प्रताप सिंह	उप.संचा.	0755	2551803	9424439925	

अध्याय–11

प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारियों द्वारा प्राप्त मासिक प्रारिश्रमिक और उसके निर्धारण की पद्वति

11.1. संचालनालय में पदस्थ समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को वेतन का भुगतान उनके मूल वेतन + ग्रेड पे पर शासन द्वारा निर्धारित मंहगाई भत्ते की गणना के आधार पर किया जाता है। अधिकारियों को वार्षिक वेतनवृद्धि प्रतिवर्ष जुलाई माह में स्वीकृत की जाती है।

अध्याय–12

प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट

वित्तीय वर्ष 2016–17 में संचालनालय एकीकृत बाल विकास अर्न्तगत योजनावार बजट प्रावधान एवं व्यय की जानकारी (1.4.16 से 13.02.17 तक)

राशि लाखों में

sch.id	Scheme name	Total Budget 2016-17 after FD cut	prog_exp.
1291	आई.सी.डी.एस के सुदृढ़ीकरण एवं पोषण स्तर सुधार की परियोजना (ईस्निप)	4246.20	1796.40
1292	मल्टी सेक्टर न्यूट्रीशन कार्यक्रम	12277.00	0.00
1405	उदिता परियोजना	443.86	0.00
2041	टंट्या भील स्कूल यूनिफार्म योजना	0.01	0.00
2042	आंगनवाडी केन्द्रों का पर्यवेक्षण एवं सुदृढीकरण	0.01	0.00
5094	मंगल दिवस	2066.40	1611.27
5211	आईटीडीपी/माडा पॉकेट/क्लस्टर मे स्थानीय विकास कार्यक्रम(ट्राईबल से BCO to BCO AWC निर्माण हेतु बजट	999.60	220.50
5360	आंगनवाडी केन्द्रों के लिये भवन निर्माण (13वां वित्त आयोग)	3192.01	1301.45
5360	आंगनवाडी केन्द्रों के लिये भवन निर्माण(राज्य आयोजना)	1416.90	7.80
5360	आंगनवाडी केन्द्रों के लिये भवन निर्माण (मनरेगा)	180.00	0.00

5643	आंगनवाडी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को अतिरिक्त मानदेय	27266.65	23524.12
6104	योजनाओं की निगरानी एवं मूल्यांकन	0.01	0.00
6392	राजीव गांधी किशोरी बालिका सशक्तिकरण योजना (सबला)	13664.00	12523.28
6442	अटल बाल आरोग्य मिशन	4621.50	2011.25
658	एकीकृत बाल विकास सेवा योजना	100631.64	77398.87
6741	म.प्र. स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रम (विदेशी सहायता)	177.82	0.00
6917	इन्दिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (आई.जी.एम.एस.वाई)	5577.43	3985.24
7046	नाबार्ड अंतर्गत प्री–फेब तकनीक से आंबनवाड़ी भवनों का निर्माण	130.01	0.00
7699	राजीव गांधी किशोर बालक सशक्तिकरण योजना (सक्षम)	9.00	0.00
7700	मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास योजना	146.37	4.68
7736	पन्ना धाय डे–केयर योजना	0.01	0.00
7737	किशोरी बालिका समग्र स्वच्छता अभियान योजना	0.01	0.00
7739	रानी दुर्गावती विशेष पोषण योजना	0.01	0.00
8808	सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य	292.50	140.80
9050	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना	112607.42	96707.34
9248	किशोरी शक्ति योजना	330.00	0.00
	Total Plan	**290276.37**	**221233.00**
5508	महिला बाल विकास के भवनों का रख–रखाव	270.00	8.91
7300	स्व. श्री सुशील चन्द्र वर्मा पुरस्कार योजना	0.01	0.00
9041	महिला एवं बाल कल्याण संचालनालय	847.15	626.20
9050	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना	337.62	157.63
	Total Non Plan	**1454.78**	**792.74**
	Total Plan+Non Plan Dir. ICDS	**291731.15**	**222025.74**

अध्याय–13

अनुदान/राज सहायता कार्यक्रमों के कियान्वयन की रीति

अध्याय–14

अनुदान/राज सहायता कार्यक्रमों के कियान्वयन की रीति

अध्याय–15

अनुदान/राज सहायता कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की रीति

15.1 1 आईसीडीएस योजना
2 किशोरी शक्ति योजना

अध्याय–16

इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध सूचनायें

16.1 विभाग द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों से संबंधित जानकारी निम्नानुसार है (इलेक्ट्रानिक फार्मेट अंतर्गत दो सी.डी है, जिसमें निम्न जानकारी के संबंध में दिखाया गया है)
विभाग की जानकारी विभाग की वेबसाईट www.mpwcd.nic.in पर उपलब्ध है, जिसे निरंतर नवीनीकृत किया जाता है।
1. Shilpi - एक किशोरी बालिका द्वारा पोषण, स्वास्थ्य, बालिका, भ्रुण हत्या, बाल विवाह रोकथाम आदि पर केन्द्रित जानकारी सरल शबदों में दी गई है।
2 सुनहरे सपने (Sunhare Sapne -) किशोरी बालिकाओं की विभिन्न समस्याओं पर केन्द्रीत रेडियो कार्यक्रम है जिसमें विषय विशेषज्ञों द्वारा उनकी समयाओं पर चर्चा. समाधान प्रस्तुत किया है।

अध्याय–17

सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण

17.1 सूचनाओं को जनता तक पहुॅचाने के लिए विभाग/संगठन द्वारा निम्नानुसार व्यवस्था की गई हैः–
1. नाटक/नुक्कड़ के माध्यम से
2. अखबारों के द्वारा
3. प्रर्दशनी (जैसे विश्व स्तनपान सप्ताह, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसरों पर)
4. सूचना पटल से
5. बेबसाईट के माध्यम से – वेबसाई का पता –
    1. www.mpwcd.nic.in
    2. www.icdsmp.gov.in

6. अन्य प्रचार प्रसार के साधन (प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रानिक मिडिया के माध्यम से) उपरोक्तानुसार माध्यमों से विभाग की गतिविधियों की जानकारी दी जाती है।

7. आगनवाड़ी समाचारिका

8. न्यूज बुलेटिन

9. विनीता चेतना फीचर सर्विस

अध्याय–18

अन्य उपयोगी जानकारियॉ

18.1 लोक प्राधिकरण से जनमानस द्वारा सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न व उनके उत्तरः–

1. प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे मे जानकारी उपलब्ध करावें । लाभार्थी कौन हैं? तथा कितने प्रशिक्षण संस्थान मध्यप्रदेश मे कार्य कर रहे हैं?
उत्तरः–उपरोक्त के सबंध मे विस्तृत जानकारी ''ध्वज'' अ पर संलग्न है ।

2. प्रशिक्षण कार्यक्रम कब तक चलेगा इसका उदेश्य क्या है?
उत्तरः– आईसीडीएस के उदेश्यो की पूर्ति मे समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करना,सामुदायिक सहभागिता के लिये वातावरण बनाना,आईसीडीएस सेवाओ की गुणवत्ता बढ़ाना, अन्य विभागो से समन्वय स्थापित करना, मैदानी अमले का प्रत्यास्मरण तथा उन्मुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रमों का निरंतर आयोजन किया जाता है।

3. प्रशिक्षण कार्यक्रम के भौतिक एवं वाणिज्यिक लक्ष्य क्या हैं ?
उत्तरः– भौतिक उपलब्धि ''ध्वज'' ब पर संलग्न है वाणिज्यिक लक्ष्य पूर्व निर्धारित नही होते हैं। बैंकलॉग के आधार पर व्यय हेतु जिलो को आवंटन उपलब्ध कराया जाता है ?

4. लाभार्थियो का चयन किस प्रकार किया जाता है ?
उत्तरः– समस्त सबंधितो को सेवा मे प्रवेश के दौरान जॉब प्रशिक्षण दिया जाना अनिवार्य है इसके 2 वर्ष पश्चात रिफ्रेशर प्रशिक्षण की पात्रता होती है ।

5. अशासकीय प्रशिक्षण संस्थाओ को अनुदान किस प्रकार उपलब्ध होता है ?
उत्तरः–विभाग द्वारा दिये जाने वाले अनुदान स्वीकृति के अधिकार जिला स्तर पर कलेक्टर को दिये गये है जिला अधिकारी, महिला एवं बाल विकास की अनुशंसा पर कलेक्टर द्वारा स्वीकृति दी जाती है।

6. प्रशिक्षण संस्था खोलने के लिये आवेदन कहॉ प्राप्त होता है ?
उत्तरः–प्रशिक्षण संस्था खोलने के लिये महिला बाल विकास के जिला कार्यालय से सम्पर्क किया जाना चाहिये। अन्तिम निर्णय शासन का होता है।

18.2 सूचना प्राप्त करने के संबंध में –

आवेदन पत्र–सूचना के अधिकार के लिए निर्धारित किया गया प्रारूप।
शुल्क–प्रति पेज रू. 1.00 (एक रूपये)
सूचना आवेदन पत्र पर मॉगे जाने वाली टिप्स–
उदिशा प्रशिक्षण सूचना न देने व अपील करने के संबंध में नागरिको के अधिकार व अपील करने की प्रक्रिया– सूचना के अधिकार के लिए शासन द्वारा निर्धारित प्रकिया।

18.3 लोक प्राधिकरण द्वारा जनता को दिये जाने वाले प्रशिक्षण के संबंध में –
लोक प्राधिकरण द्वारा जनता के लिये कोई प्रशिक्षण नही है। मात्र उदिशा प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत विभागीय अमले को प्रशिक्षण दिया जाता है।

भारत शासन द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पारित किया गया है। जिसे 16 जून 2005 को महामहिम राष्ट्रपति की स्वीकृति उपरांत कानूनी दर्जा दिया गया है।

उक्त संदर्भ में मध्यप्रदेश शासन नीतिगत निर्णय के अनुसार शासन के द्वारा किये जा रहे सभी कार्यो तथा निर्णयों में पारदर्शिता लाई जाने एवं आम व्यक्ति को इस पारदर्शिता के संबंध में निर्णयों के आधारों की जानकारी देने के उद्देश्य से अब महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा यह निश्चित किया गया है कि इस परिपत्र में उल्लेखित निम्नलिखित विषयों से संबंधित अभिलेखों की सत्यापित प्रतिलिपियां एवं संबंधित अभिलेखों का अवलोकन, आवेदक के द्वारा निर्धारित शुल्क जमा किये जाने के पश्चात् किया जा सकेगा। इसके लिये निर्धारित आवेदन/शुल्क जमा करने के पश्चात् अधिकतम तीस दिनों की समय–सीमा निर्धारित की जाती है। यह भी निर्णय लिया गया है कि गरीबी रेखा से नीचे निवासरत हितग्राहियों के द्वारा सूचना चाही जाने पर उन्हे तद्नुसार प्रमाण प्रस्तुत करने पर निःशुल्क जानकारी उपलब्ध कराई जायेगी।
सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा गठित उप समिति के अनुसार सूचना के अधिकार के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जानी होगीः–
आवेदक को सूचना प्प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र के साथ निर्धारित प्रपत्र–1 में वांछित जानकारी दिया जाना होगा। आवेदन देने पर उसे पावती प्राप्त होगी।
आवेदक को उसके द्वारा वांछित जानकारी प्राप्त करने के लिए निर्धारित शुल्क जमा करना होगा यदि वह जानकारी डाक से प्राप्त करना चाहता है तो उसे रजिस्टर्ड/यूपीसी/डाक व्यय सहित लिफाफा स्वयं का पता लिखा हुआ संलग्न करना होगा।

आवेदन पत्र विभाग/कार्यालय से संबंधित न होने की दशा में आवेदन पत्र को संबंधित विभाग/कार्यालय को अंतरित करते हुये आवेदक को सूचित करेगा। ऐसे अंतरित किये गये आवेदन पत्रों के निराकरण हेतु समय सीमा उस दिनांक से प्रारंभ होगी जिस दिनांक को आवेदन पत्र संबंधित विभाग/कार्यालय को प्राप्त होगा ।

43

सूचना के आवेदन पत्र प्राप्त होने पर 48 घंटे में सूचना प्रदाय की जाने पर सफेद रंग का आवेदन तथा 30 दिवस में सूचना प्रदान की जाने के लिए पीले रंग का आवेदन भरा जाना होगा, परंतु समय का निर्धारिण लोक सूचना अधिकारी करेगा कि मांगी गई सूचना कितने घंटे/दिवस में दी जानी है।

आवेदन पत्रों के प्राप्त होने के उपरांत विभिन्न स्तरों पर कार्यवाही हेतु तैयार निर्धारित समय सारणी अनुसार की जावेगी ।

आवेदन प्राप्ति की जानकारी निर्धारित पंजी में दर्ज की जावेगी। निराकरण होने पर अन्य पंजी में दर्ज की जायेगी कि सूचना प्रदाय की जा चुकी है या निराकृत हो चुका है।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आवेदक आवेदन पत्र–

लिखित होगा
निर्धारित शुल्क
मौखिक को लिखित बनाने में क्या नही होना चाहिये –
रा.लो.सु.अ. मदद करेगा। – सूचना क्यो चाहिये
संपर्क स्थापित करने हेतु पता/कारण आवश्यक नही

आवश्यक जानकारी देगा – आवेदक का व्यक्तिगत विवरण संबंधित विभाग के राज्य राज्य लोक सूचना अधिकारी लोक सूचना अधिकारी या सहायक लोक सूचना अधिकारी आवेदन को अंतरित करना

मान्य आशिक रूप से मान्य अमान्य आवेदक को सूचित करना
दस्तावेज देना आवेदक को आंशिक रिकार्ड आवेदक को अमान्य करने का कारण,
स्वीकार्य देने का निर्णय लेने का अपील हेतु सक्षम अधिकारी एवं
कारण निर्णय लेने वाले अपील अवधि का विवरण सूचित
अधिकारी का नाम/पदनाम करना (धारा 8(1) a to j)
जमा कराये जाने हेतु Sec.9-copy right
निर्धारित शुल्क
समय 30 दिन
रिकार्ड का परीक्षण समय – दोपहर 3 से 5 बजे तक

किसी व्यक्ति के यदि आवेदक जीवन–मृत्यु पर बी.पी.एल सूची प्रभाव डालती है का है (प्रमाण) जो 48 घंटे देगा, शुल्क की गणना कोई शुल्क नही। शुल्क डिपाजिट करने की सूचना आवेदक को देना जानकारी निशुल्क उपलब्ध कराई जाए।

18.1 1 विभिन्न प्रकार की सामग्री क्रय (आंगनवाडी केन्द्रों के लिये पूरक पोषण आहार, खेल खिलोने, मेडिसिन किट इत्यादि) तथा उर्पाजन के निर्देशों की प्रतिलिपियॉ।
18.2 –1 सूचना प्राप्त करने के लिये (प्रतिलिपिया प्राप्त करने/अभिलेख का अवलोकन करने के लिये) कार्यालय प्रमुख को आवेदन करना होगा ।
– 2 अभिलेखों की प्रतिलिपिया देने हेतु निम्नानुसार शुल्क निर्धारित किया जाता है ।
पेपर का साईज निर्धारित शुल्क
ए–4 साईज पेपर की प्रति(एक और) 2.00 रूपये
ए–3 साईज पेपर की प्रति(एक और) 4.00 रूपये
साधारण नस्ती की हस्तलिपि 5.00 रूपये
प्राप्त करने पर (एक पृष्ठ)
– 3 चाही गई सूचना के सम्बन्ध में सादे कागज पर आवेदन करना होगा।
– 4 सूचना प्राप्त न होने की स्थिति में आवेदनकर्ता यदि चाहे तो तीन सप्ताह के अन्दर उपरोक्त आदेश के विरूद्ध सम्बन्धित उच्च अधिकारी को अपील प्रस्तुत कर सकेगा।

समाप्त